

SCHOOL OF PLANNING AND ARCHITECTURE

An "Institution of National Importance" under an Act of Parliament (Ministry of Education, Government of India) Indraprastha Estate, New Delhi -110002

Ref.No.F.100/33/SPA/AE-2023

13th March, 2023

FEE NOTICE (FOREIGN NATIONALS) UNDER GRADUATE - 2022-23 (Second Semester)

All the Self Financing students i.e. Non-Indian Resident and Person from Indian Origin and Foreign National (NRI/PIO/FN) First year (Second Semester) of the <u>Bachelor's Degree Programme</u> are required to pay the following fees in US\$ for the academic session 2022-23 on or before Monday, 27th March, 2023 as per the detail given below:-

S.No.	Details of Fees	Amount in US\$
1	Tuition Fees & other Charges (FN/NRI/PIO)*	US\$ 7,000/- (Per Semester)
2	Tuiting France Outline Observed Containing	US\$ 3,500/- (Per Semester)

^{*} FN - Foreign National, NRI - Non - Resident Indian & PIO - Person of Indian Origin.

NOTE: -

1) Self-Financing Foreign National students are required to pay their fees in US dollar. However, the equivalent sum in Indian currency could be paid, supported with a currency exchange rate certificate.

The above payment is to be made through the following mode: -

a) Through NEFT (Within India) - In equivalent rupees at the exchange rate of that day.

Account Number

18200100001848

Beneficiary Name

SPA (Foreign) A/C

Bank Name

UCO Bank

Bank Address

IIPA, 4-Block - B, I. P. Estate, New Delhi - 110002.

IFSC Code

UCBA0001820

b) Outside India : -

Account Number

18200100001848

Beneficiary Name

SPA (Foreign) A/C

Bank Name

UCO Bank

Bank Address

IIPA, 4-Block - B, I. P. Estate, New Delhi - 110002.

Swift Code

UCBAINBB001

Note: -

- 1) In the <u>REMARKS</u> column of NEFT, please mention Name of the Candidate & Course & also obtain transaction ID/UDR number after successful payment in the bank.
- 2) Please inform the School by email accounts@spa.ac.in and admission@spa.ac.in attaching a printout of the NEFT receipt having transaction ID/UTR number provided by the bank while depositing fee, through NEFT with your name, course for which selected and application number/Roll number immediately after the NEFT payment.
- 3) If any student fails to comply with the condition no. 2 mentioned above, his/her fee may not be considered.

In case any of the students fails to deposit his/her prescribed fees by 27th March, 2023, the fees shall be accepted with fine of Rs.50/- per day up to 06th April, 2023. Thereafter no fee shall be accepted and the name of such student shall be struck off from the rolls of the School. However, such student may be re-admitted up to 17th April 2023, on payment of Rs.4,000/- as re-admission charges along with the prescribed fees and fine, with the prior approval of the competent authority of the School.

All the students are required to submit the proof of fees paid in their concerned Department of Studies for making entries in the Fee Collection Register. On completion of the register, the concerned Departmental official shall submit the register to his/her Controlling Officer for verification as the same is auditable.

The Heads of the Departments of Studies are requested to ensure that all the students have paid their fees, etc. and if any student has not paid the fees, the same may please be brought to the notice of the Assistant Registrar (A&E) latest by 21st April, 2023.

Sponsored candidates are also required to pay the fees and other dues as shown above by the due date(s), and claim the reimbursement, if any, from their sponsoring authority subsequently, as per the terms and conditions of their sponsorship through their concerned Department of studies.

Assistant Registrar

Copy to:-

- 1. Head Cass for SPA Web Site.
- 2. All Heads of the Department of Studies.
- 3. Registrar
- 4. Deputy Registrar
- 5. Assistant Registrar (A&B)
- 6. Notice Boards (Planning/Architecture)



योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली

(संसद के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान सिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)

School of Planning and Architecture, New Delhi

(An Institution of National Importance enacted by an Act of Parliament, Ministry of Education, Government of India

प्रवेश एवम परीक्षा विभाग ADMISSION AND EXAMINATION SECTION

संदर्भ संख्या एफ.100/23/एसपीए/एई-2023

¹²33 मार्च, 2023

शुल्क सूचना (विदेशी नागरिक) स्नातक - 2022-23 (द्वितीय सेमेस्टर)

सभी स्व वित्तपोषित छात्रों अर्थात गैर-भारतीय निवासी और भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी नागरिक (एनआरआई/पीआईओ/एफएन) स्नातक डिग्री कार्यक्रम के प्रथम वर्ष (द्वितीय सेमेस्टर) को शैक्षणिक सत्र के लिए यूएस \$ में निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है 2022-23 सोमवार, 27 मार्च 2023 को या उससे पहले नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:-

क्र.सं.	शुल्क का विवरण	यूएस डॉलर में राशि
	ट्यूशन फीस और अन्य शुक्क (एफएन/एनआरआई/पीआईओ)	यूएस\$ ७,०००/- (प्रति सेमेस्टर)
2	ट्यूशन फीस और अन्य शुल्क (सार्क देश के छात्रों के लिए)	यूएस\$ ३,500/- (प्रति सेमेस्टर)

उपरोक्त भुगतान निम्नलिखित मोड के माध्यम से किया जाना है: -

1. भारत के भीतर:

एनईएफटी के माध्यम से:

लाभार्थी का नाम

स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर

ए / सी खाता संख्या

18200100001848

बैंक का नाम

बैंक का पता

आईआईपीए, 4-बी, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

IFSC कोड

UCBA0001820

2. भारत के वाहर:

लाभार्थी का नाम

स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर

ए / सी खाता संख्या

18200100001848

बैंक का नाम

युको बैंक

बैंक का पता

आईआईपीए, 4-बी, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

स्विफ्ट कोड

UCBAINBB242

टिप्पणी: -

1) एन.ई.एफ.टी. के रिमार्क्स कॉलम में, कृपया उम्मीदवार और पाठ्यक्रम के नाम का उल्लेख करें और बैंक में सफल भुगतान के बाद लेनदेन आई.डी ./ यू.डी.आर. नंबर भी प्राप्त करें।

2) कृपया स्कूल को ईमेल द्वारा accounts@spa.ac.in & admission@spa.ac.in पर सूचित करें, एन.ई.एफ.टी. रसीद का एक प्रिंटआउट संलग्न करें जिसमें शुल्क जमा करते समय बैंक द्वारा प्रदान की गई लेन-देन आईडी / यू.टी.आर. नंबर, आपके नाम के साथ एनईएफटी के माध्यम से, पाठ्यक्रम जिसके लिए चयन किया गया है और एनईएफटी भुगतान के तुरंत बाद आवेदन संख्या/रोल नंबर। यदि कोई छात्र शर्त संख्या का पालन करने में विफल रहता है। 2 ऊपर उल्लिखित, उसकी फीस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

यदि कोई छात्र 27 मार्च 2023 तक अपनी निर्धारित फीस जमा करने में विफल रहता है, तो 06 अप्रैल 2023 तक प्रतिदिन 50 रुपये के जुर्माने के साथ शुक्क स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद कोई शुक्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे छात्र के नाम को स्कूल के रोल् से हटा दिया जाएगा। हालांकि, ऐसे छात्र को 17 अप्रैल 2023 तक फिर से प्रवेश दिया जा सकता है, स्कूल के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के साथ निर्धारित शुल्क और जुर्माना के साथ फिर से प्रवेश शुल्क के रूप में 4,000/- रुपये का भुगतान किया जा सकता है।

शुल्क संग्रह रजिस्टर में प्रविष्टियां करने के लिए सभी छात्रों को अपने संबंधित अध्ययन विभाग में भुगतान की गई फीस का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है। रजिस्टर के पूरा होने पर, संबंधित विभागीय अधिकारी सत्यापन के लिए अपने नियंत्रण अधिकारी को रजिस्टर प्रस्तुत करेगा क्योंकि यह ऑडिट योग्य है।

अध्ययन विभागों के प्रमुखों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि सभी छात्रों ने अपनी फीस आदि का भुगतान कर दिया है और यदि किसी छात्र ने शुल्क का भुगतान नहीं किया है, तो इसे सहायक रजिस्ट्रार (ए एंड ई) के ध्यान में 21 अप्रैल 2023 तक नवीनतम रूप से लाया जा सकता है।

प्रायोजित उम्मीदवारों को शुल्क और अन्य देय राशि का भुगतान करने की भी आवश्यकता होती है, जैसा कि नियत तारीख (तारीखों) तक ऊपर दिखाया गया है, और प्रतिपूर्ति का दावा करें, यदि कोई हो, तो उनके प्रायोजन के नियमों और शर्तों के अनुसार, उनके प्रायोजक प्राधिकरण से बाद में संबंधित विभाग के माध्यम से अध्ययन के।

> (अनुज भारद्वाज) सहायक कुलसचिव